

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख)
के स्वः प्रकटीकरण के प्राविधान के अंतर्गत मैनुअल
राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर
(<https://rhgpgckashipur.ac.in/rti-act/>)



25 सितम्बर 2026 तक अद्यावधिक

विभाग का नाम
लोक प्राधिकरण का नाम
पूर्ण पता
लोक प्राधिकारी का नाम
लोक प्राधिकारी का पदनाम
मो० न०
नोडल अधिकारी का नाम
नोडल अधिकारी का पदनाम
मो० न०
महाविद्यालय मैनुअल का लिंक

उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड
राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर
काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, पिन 244713
प्रो० (डॉ०) सुमिता श्रीवास्तव
प्राचार्य
8077919619
डॉ० तिलक राम
सहायक प्राध्यापक
8273121147
https://rhgpgckashipur.ac.in/rti-act/

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय-1	संगठन, कार्य एवं कर्तव्य	4 - 5
अध्याय-2	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	6 - 7
अध्याय-3	निर्णय लेने की प्रक्रिया	8 - 9
अध्याय-4	कार्य निर्वहन के मानक	10
अध्याय-5	नियम, विनियम, निर्देश एवं मैनुअल	11
अध्याय-6	दस्तावेजों की श्रेणियाँ	12 - 14
अध्याय-7	जन-सामान्य से परामर्श	15
अध्याय-8	बोर्ड/समितियाँ/अन्य निकाय	16
अध्याय-9	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	17
अध्याय-10	वेतन/मासिक पारिश्रमिक	18
अध्याय-11	बजट एवं व्यय	19
अध्याय-12	अनुदान/सहायता कार्यक्रम	20
अध्याय-13	रियायत/परमिट/प्राधिकरण	21
अध्याय-14	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना	22
अध्याय-15	नागरिक सुविधाएँ	23
अध्याय-16	PIO एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी	24
अध्याय-17	अन्य निर्धारित सूचनाएँ	25 - 26

अध्याय 1.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/rti-act/>)

संगठन, कार्य एवं कर्तव्य

1.1 संगठन का परिचय

राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड राज्य का एक राजकीय उच्च शिक्षण संस्थान है। महाविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करना तथा उनके शैक्षणिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करना है। महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों में शिक्षण कार्य संचालित किया जाता है। महाविद्यालय का प्रशासन राज्य सरकार/उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड तथा संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियमों, नियमों, शासनादेशों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुसार संचालित होता है।

1.2 संगठनात्मक संरचना

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन

↓

उच्च शिक्षा निदेशालय

↓

प्राचार्य

↓

विभागाध्यक्ष

↓

प्राध्यापक

↓

शिक्षणेत्तर कर्मचारी

↓

विद्यार्थी

1.3 समितियाँ

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/committee/>)

- प्रवेश समिति
- परीक्षा समिति
- छात्रवृत्ति समिति
- RTI प्रकोष्ठ
- महिला प्रकोष्ठ
- आंतरिक शिकायत समिति
- SC/ST Cell
- NSS
- Anti-Drug Cell
- IQAC
- शाश्वत मंडल
- एंटी-रैगिंग समिति
- क्रीड़ा समिति
- सांस्कृतिक समिति
- पुस्तकालय समिति
- क्रय समिति
- छात्र कल्याण समिति
- अन्य आवश्यकतानुसार समितियाँ

अध्याय 2

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/rti-act/>)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य - धारा 4(1)(b)(ii)

2.1 प्राचार्य

प्राचार्य महाविद्यालय के प्रमुख प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अधिकारी होते हैं।

2.2 प्राचार्य के प्रमुख कार्य

- महाविद्यालय के प्रशासन का संचालन।
- शासन/उच्च शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय के निर्देशों का अनुपालन।
- शैक्षणिक गतिविधियों का पर्यवेक्षण।
- वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों का नियमानुसार संचालन।
- समितियों का गठन एवं पर्यवेक्षण।
- विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण।
- महाविद्यालय की संपत्ति एवं संसाधनों का संरक्षण।
- अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण।

2.3 प्राध्यापक

- निर्धारित पाठ्यक्रम का शिक्षण।
- विद्यार्थियों का शैक्षणिक मार्गदर्शन।
- परीक्षा संबंधी कार्य।
- मूल्यांकन।
- शोध एवं अकादमिक गतिविधियाँ।
- महाविद्यालय की विभिन्न समितियों में कार्य।

- सह-पाठ्यक्रम एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों में सहभागिता।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक प्रगति की निगरानी।

2.4 शिक्षणेतर कर्मचारी

- कार्यालयीन कार्य।
- अभिलेखों का रख-रखाव।
- वित्तीय एवं लेखा संबंधी कार्य।
- स्थापना संबंधी कार्य।
- प्रवेश/परीक्षा संबंधी प्रशासनिक कार्य।
- विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक सेवाएँ उपलब्ध कराना।

अध्याय 3.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/rti-act/>)

निर्णय लेने की प्रक्रिया - धारा 4(1)(b)(iii)

3.1 निर्णय प्रक्रिया

महाविद्यालय में निर्णय संबंधित अधिनियमों, शासनादेशों, विश्वविद्यालयीय नियमों, विभागीय निर्देशों एवं निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया के निम्नानुसार लिए जाते हैं-

प्रकरण/प्रस्ताव

↓

संबंधित समिति

↓

परीक्षण

↓

प्राचार्य

↓

आवश्यकतानुसार उच्चाधिकारी/विश्वविद्यालय

↓

आदेश / निर्णय

↓

अनुपालन

3.2 निर्णय सिद्धांत

- नियमों का अनुपालन
- पारदर्शिता
- उत्तरदायित्व
- विद्यार्थी हित
- प्रशासनिक निष्पक्षता
- समयबद्धता

अध्याय 4.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/rti-act/>)

कार्यों के निर्वहन के मानक धारा 4(1)(b)(iv)

कार्य	निर्धारित आधार
प्रवेश	विश्वविद्यालय/शासन के नियम
परीक्षा	विश्वविद्यालय/UGC/शासन के नियम
छात्रवृत्ति	संबंधित विभाग/शासन की योजना एवं दिशानिर्देश
शुल्क	शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित
प्रमाण-पत्र	निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया
पुस्तकालय	शासन/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नियम
वित्तीय कार्य	वित्तीय नियम/GFR/राज्य शासन के निर्देश
कर्मचारी सेवा संबंधी कार्य	राज्य शासन/उच्च शिक्षा विभाग के नियम
शिकायत निवारण	निर्धारित शिकायत निवारण व्यवस्था
RTI	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं लागू नियम

अध्याय 5.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/rti-act/>)

नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल एवं अभिलेख धारा 4(1)(b)(v)

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
2. UGC Act एवं Regulations
3. राज्य उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश
4. उत्तराखण्ड शासन के सेवा संबंधी नियम
5. वित्तीय नियम
6. विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश
7. परीक्षा संबंधी नियम
8. प्रवेश संबंधी नियम
9. छात्रवृत्ति संबंधी शासनादेश
10. अवकाश संबंधी नियम
11. आचरण नियम
12. अनुशासन संबंधी नियम
13. एंटी-रैगिंग नियम
14. लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम संबंधी नियम
15. खरीद/निविदा संबंधी नियम
16. कार्यालय प्रक्रिया संबंधी नियम
17. अभिलेख संरक्षण संबंधी निर्देश
18. समय-समय पर जारी शासनादेश/परिपत्र।

अध्याय 6.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/rti-act/>)

महाविद्यालय के नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियाँ धारा 4(1)(b)(vi)

6.1 प्रशासनिक अभिलेख

- शासनादेश
- कार्यालय आदेश
- परिपत्र
- पत्राचार
- बैठक कार्यवृत्त
- समितियों की रिपोर्ट

6.2 शैक्षणिक अभिलेख

- पाठ्यक्रम
- समय-सारणी
- कक्षा अभिलेख
- उपस्थिति
- परीक्षा संबंधी अभिलेख
- परिणाम संबंधी दस्तावेज

6.3 विद्यार्थी संबंधी अभिलेख

- प्रवेश आवेदन
- नामांकन
- छात्रवृत्ति

- प्रमाण-पत्र
- शुल्क संबंधी अभिलेख
- छात्र कल्याण संबंधी रिकॉर्ड

6.4 वित्तीय अभिलेख

- बजट
- बिल
- वाउचर
- कैशबुक
- स्टॉक रजिस्टर
- खरीद संबंधी रिकॉर्ड
- ऑडिट रिपोर्ट

6.5 कर्मचारी संबंधी अभिलेख

- सेवा पुस्तिका
- नियुक्ति संबंधी अभिलेख
- अवकाश
- वेतन
- स्थानांतरण
- पदोन्नति
- सेवा संबंधी पत्राचार

व्यक्तिगत/निजी जानकारी वाले अभिलेखों का प्रकटीकरण संबंधित RTI अपवादों, विशेषकर धारा 8 एवं 11, के अधीन होगा। DoPT की proactive disclosure guidance के अनुसार disclosure करते समय धारा 8-11 को ध्यान में रखा जाए।

अध्याय 7.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/rti-act/>)

जन-सामान्य से परामर्श की व्यवस्था धारा 4(1)(b)(vii)

जहाँ किसी नीति / कार्यक्रम के निर्माण अथवा क्रियान्वयन में जन-सामान्य / हितधारकों से परामर्श अपेक्षित होता है, तब लागू शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार निम्न माध्यम से सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं -

- नोटिस बोर्ड
- महाविद्यालय वेबसाइट
- कार्यालय सूचना
- ई-मेल
- बैठक
- समिति
- निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल।

अध्याय 8.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/committee/>)

बोर्ड, परिषद, समितियाँ एवं अन्य निकाय धारा 4(1)(b)(viii)

महाविद्यालय में कार्यों के सुचारु संचालन के लिए निम्न समितियाँ / प्रकोष्ठ गठित किए जाते हैं।

क्रम समिति	संयोजक	सदस्य	कार्यकाल	प्रमुख कार्य
1 प्रवेश समिति			सत्रवार	प्रवेश
2 परीक्षा समिति			सत्रवार	परीक्षा
3 छात्रवृत्ति समिति			सत्रवार	छात्रवृत्ति
4 IQAC			नियमानुसार	गुणवत्ता
5 SC/ST Cell			नियमानुसार	विद्यार्थी सहायता
6 Anti-Ragging Committee			नियमानुसार	एंटी-रैगिंग
7 महिला प्रकोष्ठ			नियमानुसार	महिला संबंधी विषय
8 NSS	डॉ० मंजुल गोंडवाल वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी		नियमानुसार	सामाजिक सेवा

अध्याय 9.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/wp-content/uploads/2026/09/Staff-Statement-2025-26.pdf>)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका धारा 4(1)(b)(ix)

क्रम	नाम पद	विभाग/शाखा	आधिकारिक संपर्क	ई-मेल
1	— प्राचार्य	प्रशासन	—	—
2	— प्राध्यापक		—	—
3	— सह प्राध्यापक		—	—
4	— सहायक प्राध्यापक		—	—
5	कर्मचारी			

अध्याय 10.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/wp-content/uploads/2026/09/Staff-Statement-2025-26.pdf>)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक धारा 4(1)(b)(x)

10.1 पदवार वेतनमान

- प्राचार्य
- प्राध्यापक
- सह प्राध्यापक
- सहायक प्राध्यापक
- प्रशासनिक कर्मचारी
- लेखा कर्मचारी
- प्रयोगशाला कर्मचारी
- पुस्तकालय कर्मचारी
- अन्य कर्मचारी।

अध्याय 11.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/wp-content/uploads/2026/09/Staff-Statement-2025-26.pdf>)

बजट एवं व्यय धारा 4(1)(b)(xi)

- स्वीकृत बजट
- बजट मद
- प्राप्त राशि
- व्यय राशि
- शेष राशि
- योजना/गैर-योजना/संबंधित मद
- प्रमुख व्यय।

अध्याय 12.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/wp-content/uploads/2026/09/Staff-Statement-2025-26.pdf>)

अनुदान/सहायता कार्यक्रमों का निष्पादन धारा 4(1)(b)(xii)

- योजना का नाम scholarship/grant/subsidy programme
- पात्रता
- चयन प्रक्रिया
- आवेदन प्रक्रिया
- स्वीकृत राशि
- लाभार्थियों की संख्या
- वितरण प्रक्रिया
- संबंधित विभाग
- योजना के दिशानिर्देश।

अध्याय 13.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/wp-content/uploads/2026/09/Staff-Statement-2025-26.pdf>)

रियायत, परमिट या प्राधिकरण धारा 4(1)(b)(xiii)

महाविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति / संस्था को नियमानुसार किसी प्रकार की concession, permit या authorization प्रदान किये जाने का विवरण ।

अध्याय 14.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/rti-act/>)

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना धारा 4(1)(b)(xiv)

- महाविद्यालय वेबसाइट - www.rhgpgckashipur.ac.in
- admission information
- prospectus
- notices
- academic calendar
- examination information
- scholarship information
- tender notices
- recruitment-related information
- RTI information
- committee information
- contact directory
- annual reports
- important circulars/orders |

अध्याय 15.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/rti-act/>)

नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएँ धारा 4(1)(b)(xv)

- कार्यालय
- पुस्तकालय
- छात्र सहायता
- प्रवेश सहायता
- छात्रवृत्ति सहायता
- परीक्षा सहायता
- शिकायत निवारण
- RTI सुविधा
- सूचना काउंटर
- वेबसाइट
- निर्धारित अधिकारी से संपर्क।

अध्याय 16.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/rti-act/>)

लोक सूचना अधिकारियों का विवरण धारा 4(1)(b)(xvi)

लोक सूचना अधिकारी (PIO)

नाम : डॉ० तिलक राम

पद : सहायक प्राध्यापक

कार्यालय: राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर

पता: काशीपुर-244713, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

दूरभाष : 8273121147

ई-मेल : drtilak.ram@rediffmail.com

प्रथम अपीलीय अधिकारी (FAA)

नाम : प्रो० (डॉ०) सुमिता श्रीवास्तव

पद : प्राचार्य

कार्यालय : राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर

पता : काशीपुर-244713, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

दूरभाष : 8077919619

ई-मेल : sumita_uki1@rediffmail.com

अध्याय 17.

(<https://rhgpgckashipur.ac.in/rti-act/>)

17.1 अन्य निर्धारित सूचनाएँ धारा 4(1)(b)(xvii)

- Citizen Charter
- Grievance Redressal Mechanism
- Anti-Ragging information
- Scholarship information
- Admission information
- RTI applications and disposal information
- महत्वपूर्ण शासनादेश
- निविदाएँ
- खरीद संबंधी सूचना
- चल रहे प्रमुख कार्य
- पूर्ण किए गए प्रमुख कार्य
- वार्षिक रिपोर्ट
- महत्वपूर्ण समितियाँ
- महत्वपूर्ण संपर्क।

17.2 महत्वपूर्ण नीतियों एवं निर्णयों से संबंधित तथ्य धारा 4(1)(c)

- महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय
- प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन
- शुल्क संबंधी निर्णय
- शैक्षणिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन

- विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्देश।

17.3 प्रशासनिक / अर्ध-न्यायिक निर्णयों के कारण धारा 4(1)(d)

किसी प्रभावित व्यक्ति को उसके संबंध में लिए गए प्रशासनिक अथवा quasi-judicial निर्णय के कारणों की जानकारी नियमानुसार।

17.4 सूचना का व्यापक प्रसार — धारा 4(3)

वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, कार्यालय, सूचना पुस्तिका, ई-मेल, ऑनलाइन माध्यम तथा अन्य उपयुक्त माध्यम।

17.5 सूचना पुस्तिका/मैनुअल की उपलब्धता — धारा 4(4)

- हिंदी में
- आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी में
- मुद्रित रूप में
- PDF / electronic form में
- वेबसाइट पर